



# झारखण्ड राज्य के कोषागारों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2013 - 2014



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
झारखण्ड, राँची - 834002

## विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
I	प्राक्कथन	03
II	मुख्य अंश	05
III	भाग 1 : प्रस्तावना	07
IV	भाग 2 : लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां / विसंगतियां	09–11
V	भाग 3 : कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य अनियमिततायें	12–19
VI	परिशिष्ट	20–59

## प्राक्कथन

कोषागार राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के मामले में सामान्य रूप में और सरकारी लेनदेन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषागार, निकासी एवं संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है साथ ही साथ लेखा एवं लेन-देन से संबंधित मानकों, नियमों और नियमन के अनुसार वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करना आवश्यक है। कोषागार/उप कोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उप-कोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन प्रतिकूल वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

कोषागारों एवं उप-कोषागारों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन करने में पाई गई कमियाँ जो नियमों एवं प्रक्रियाओं के विचलन तथा वित्तीय प्रबंधन में कमी को बढ़ावा देती है, इस पर मेरे कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है।

लेखों की गुणवत्ता प्रदान करना हमारा पहला प्रयास रहा है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोषागारों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना महत्वपूर्ण रहा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली सुविधापूर्ण तरीके से तीव्रतापूर्वक राज्य सरकार के लेखों की जानकारी प्रदान करती है।

झारखण्ड राज्य के कोषागारों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2013-14, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मैनुअल स्थायी आदेश (ले० एवं हक०) खण्ड-1 के पैरा 20.17 और दिये गए प्रारूप/दिशानिर्देशों के अनुसार संकलित किया गया है।

मैं उम्मीद करता हूँ, कि यह समीक्षा रिपोर्ट कोषागारों एवं उप-कोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने में एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई स्थापित करने में सहायक होगा।



(मनोज सहाय)  
महालेखाकार (लेखा एवं हक०)  
झारखंड, राँची।

## मुख्य अंश

1. राज्य गठन से 2013-14 तक ₹5162/- करोड़ के कुल 17778 विस्तृत बिपत्र, महालेखाकार कार्यालय में अप्राप्त रहे ।

[कंडिका 2.1.1]

2. विभिन्न कोषागारों/उप-कोषागारों से कुल ₹14,79,076/- रुपये का अधिक पेंशन का भुगतान किया गया ।

[कंडिका 3.3.4]

3. राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/वेतन मद में कुल ₹14,24,443/- का अधिक आहरण किया गया

[कंडिका 3.4(2)]

4. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम कुल राशि ₹5,20,353/- का समायोजन नहीं किया गया ।

[कंडिका 3.5]

5. कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा आंतरिक नियंत्रण का पालन नहीं किया जाना ।

[कंडिका 3.7]

6. उच्चतर अधिकारियों द्वारा कोषागारों/उप-कोषागारों का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना ।

[कंडिका 3.8]

# खण्ड ।

## प्रस्तावना

**परिचय :-** कोषागार किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है तथा वे सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । कोषागार वह माध्यम है जो राज्य के विभिन्न संसाधनों का समावेश, आहरण एवं लेखा रखता है । प्रत्येक कोषागार एवं उप कोषागार क्रमशः कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी के प्रभार में रहते हैं ।

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोषागार एवं उप-कोषागार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं । वित्त विभाग के सचिव, राज्य के कोषागारों के विभागाध्यक्ष होते हैं एवं पूर्ण कार्यप्रणाली इनके अधीन कार्य करती है ।

### 1.1 संरचना/संगठन

झारखण्ड राज्य में 26 कोषागार एवं 6 उप कोषागार कार्यालय कार्यरत हैं (**परिशिष्ट संख्या-1**) । सभी कोषागार बैंकिंग है । वर्ष 2013-14 में सभी 26 जिला कोषागारों एवं 6 उप कोषागारों का महालेखाकार कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया (**परिशिष्ट संख्या-2**) । कोषागारों/उप कोषागारों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति (**परिशिष्ट संख्या-3**) में दर्शाया गया है ।

**अनुशंसा :-** कोषागार एवं उप कोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्य बल से काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

## खण्ड - II

### 2.1 लेखों को तैयार करने में

#### 2.1.1 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृश्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाय। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2013-14 (30 जून 2014 की स्थिति) तक ₹ 5162 करोड़ के कुल 17778 डी० सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	53548	13543	36225	9372	17323	4171
2012-13	547	925	498	494	49	431
2013-14	468	667	62	107	406	560
<b>योग</b>	<b>54563</b>	<b>15135</b>	<b>36785</b>	<b>9973</b>	<b>17778</b>	<b>5162</b>

वर्ष 2013-14 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई राशि 667 करोड़ में से केवल मार्च 2014 में ₹ 395 करोड़ (59.22 प्रतिशत) की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹119.00 करोड़ (17.80 प्रतिशत) की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध किये गये महत्वपूर्ण व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को खर्च करने के लिए ही की गई तथा यह बजट पर नियंत्रण की न्यूनता को भी उद्घाटित करता है।

## 2.2 रेलवे / डाक एवं दूरसंचार पेंशन के बकाया दावे

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चाईबासा कोषागार द्वारा बकाये पेंशन दावों के प्रमाणक (वाउचर) संबंधित विभाग के अधिकारी को समय पर नहीं भेजे जाने के कारण पेंशन दावों की प्राप्ति में विलम्ब होता है। साथ ही पाया गया कि चाईबासा कोषागार कि 08 रेलवे पेंशनर एवं 13 रक्षा सेवा पेंशनर जिसमें 09 जिवीत एवं 04 की मृत्यु हो गई है पेंशन का आहरण नहीं किया जा रहा है इस संबंध में महालेखाकार को सूचना नहीं दी गई है।

## 2.3 कोषागारों से मासिक लेखा प्राप्ति में बिलंब

राज्य सरकार के लेखे, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है एवं जिसके लिए सभी कोषागार अधिकारी निर्धारित समयावधि में महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को उनके कोषागार के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं।

मासिक लेखा में एक तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, जिसे अगले माह की पांच तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये एवं मार्च माह के लेखे को निश्चित रूप से अप्रैल माह की 12 तारीख तक जमा किया जाना चाहिये। मासिक लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नही होने के निम्न परिणाम होते हैं :-

1. लेखों के संकलन में विलंब
2. मासिक लोक खातों से लेखों का अपवर्जन
3. संकलित लेखों की अधूरी जानकारी
4. राज्य सरकार के दावों को प्राथमिकता देने में विलम्ब
5. प्रारंभिक तिथि में मौद्रिक निपटान पर असर
6. योजनागत व्यय के प्रमाणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव और
7. आर0बी0आई0 के किताबों/बहियों में दिखाये गये रोकड़ शेष का समाधान।

समीक्षा में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त कुल 384 मासिक लेखों में से 283 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये हैं। कोषागारों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में औसतन 3.51 दिनों का विलम्ब पाया गया है।

## 2.4 स्थानीय निधि खातों के अन्तशेषों का मिलान न किया जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग – 1 के नियम 579 के अनुसार गत वर्ष के लिए कोषों में जमा शेषों का सत्यापन कोषागार पदाधिकारी एवं स्थानीय निधि के प्रशासक द्वारा किया जाना चाहिये एवं सत्यापन के बाद उन्हें महालेखाकार को यथाशीघ्र भेजने के लिए, सभी स्थानीय निधियों के प्रशासक प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कोषागार पदाधिकारी को उनकी स्वीकृति का प्रमाणपत्र भेजेंगे ।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कोषागार निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि 32 कोषागारों में कुल 101 स्थानीय निधि से संबंधित खातों का संधारण किया जा रहा है परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या–4) में दर्शाया गया है ।

## 2.5 प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा का कोषागारों में लेखा का संकलन एवं महालेखाकार को लेखा भेजने संबंधी टिप्पणियाँ

झारखण्ड राज्य के समस्त कोषागारों एवं उप कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है ।

## 2.6 रिजर्व बैंक जमा पंजी

झारखण्ड राज्य में समस्त कोषागारों एवं उप कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् पंजियों का अनुरक्षण/रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है ।



## भाग - 3

### वर्ष 2013-14 में कोषागारों एवं उप कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य अनियमिततायें

#### 3.1 वर्ष 2013-14 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषागारों एवं उप-कोषागारों का विवरण

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग - 1 के नियम 77 के तहत महालेखाकार द्वारा कोषागारों/उप-कोषागारों का निरीक्षण लेखा परीक्षा नियमावली के अनुसार किया जाता है। समीक्षा वर्ष 2013-14 के दौरान किये गये कोषागारों/उप कोषागारों के निरीक्षण का विवरण (परिशिष्ट संख्या-2) में दर्शाया गया है।

#### 3.2 वर्ष 2013-14 में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

समीक्षा वर्ष 2013-14 के दौरान कोषागार से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की समीक्षा के उपरान्त प्रतिवेदनों की 439 कंडिका एवं 638 उप-कंडिका को विलोपित किया गया। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-6) में दर्शाया गया है। कोषागार/उप-कोषागार कार्यालयों द्वारा प्राप्त अपूर्ण अथवा उठाये गये आपत्तियों पर यथोचित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल 839 कंडिका एवं 1400 उप-कंडिका लंबित/यथावत बने हुए हैं। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-7) में दर्शाया गया है। साथ ही वर्ष 2013-14 के दौरान निरीक्षण किये गये 32 कोषागारों/उप-कोषागारों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में 456 कंडिका एवं 734 उप-कंडिकाओं को निर्गत किया जा चुका है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-5) में दर्शाया गया है।

अनुशांसा: निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के संदर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिये। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों के ससमय निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली विकसित की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके। झारखण्ड सरकार द्वारा एक कोषागार निदेशालय के भी गठन पर विचार करना चाहिए जो उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण के परिणाम की निगरानी एक नोडल एजेन्सी की तरह करे। कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का निराकरण/निपटारा कोषागारों में कार्य प्रणाली का उन्नयन सुनिश्चित करता है।

### 3.3 पेंशन भुगतान से संबंधित प्रकरण

#### 3.3.1 पेंशन संबंधित अभिलेख

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 334 से 389 में कोषागार अधिकारियों को पेंशन भुगतान एवं उनके अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में पर्याप्त दिशानिर्देश दिये गये हैं। कुछ कोषागारों द्वारा जैसे पेंशनर, जिनके पेंशन की निकासी कोषागार से होती है, के मामले में जीवन प्रमाण पत्र, गैर रोजगार प्रमाण पत्र एवं महिला पेंशनधारकों का जिनका पेंशन विवाह या पुर्न विवाह के कारण समाप्त किया जाता है, के द्वारा इस आशय का वार्षिकी/अर्ध वार्षिकी घोषणा पत्र, संबंधित दस्तावेज का रखरखाव एवं अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-8) में दर्शाया गया है।

#### 3.3.2 पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त देय बकायों का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को करने के पश्चात पेंशन भुगतान आदेशों को वापस नहीं किया जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 388 (3) के अनुसार पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त पेंशन भुगतान आदेशों की दोनों प्रतियाँ पेंशनर की प्रति एवं संवितरण की प्रति पेंशन बकाये राशि के भुगतान उनके उत्तराधिकारियों को करने के पश्चात, महालेखाकार कार्यालय को पेंशनधारी की मृत्यु की सूचना के साथ वापस किया जाना चाहिये। समीक्षा वर्ष 2013-14 के कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कुछ कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-9) में दर्शाया गया है।

#### 3.3.3 छः माह से पेंशन आहरण नहीं करने वाले पेंशनधारियों की सूची नहीं भेजा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 389 के अनुसार प्रत्येक कोषागार पदाधिकारी हर छः माह पर महालेखाकार कार्यालय को पेंशन निकासी न करने के मामलों में एक विवरण पेश करेंगे। विवरण दो भागों में तैयार किया जाएगा : पहले भाग में सेवा पेंशन के लिए तीन वर्ष एवं राजनीतिक पेंशन के लिए छः वर्ष से पेंशन निकासी न करने वाले सभी पेंशन-भोगियों का पेंशन के वर्ग का उल्लेख करते हुए नाम होगा, दूसरे भाग में पहले भाग में उल्लिखित पेंशन-भोगियों से भिन्न उन पेंशन-भोगियों का नाम होगा जिन्होंने एक वर्ष से पेंशन की निकासी नहीं की है। यदि ज्ञात हो तो निकासी न करने के कारणों का उल्लेख प्रत्येक नाम के सामने किया जाएगा।

जिन पेंशन-भोगियों के नाम उपर्युक्त विवरण के पहले भाग में शामिल हो, उन सभी के तथा जिन मृत पेंशन-भोगियों के बकाया पेंशन का दावा उनकी मृत्यु के एक वर्ष के अंदर नहीं किया गया हो, उनके भी पेंशन भुगतान आदेश के व्ययनकर्ता वाले हिस्से विवरण के साथ महालेखाकार को वापस भेज दिए जाएंगे। कोषागार पदाधिकारियों/बैंक प्रबंधन हर महीने पेंशन भुगतान आदेश की फाइल जांच करके ऐसे मामलों को खोज निकालेगा।

समीक्षा वर्ष 2013-14 के कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कुछ कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-10) में दर्शाया गया है।

### 3.3.4 कुल ₹14,79,076= 00 ( चौदह लाख उन्यासी हजार छिहतर ) मात्र का अधिक पेंशन का भुगतान

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 344 से 389 के अनुसार कोषागार पदाधिकारियों को पेंशन भुगतान एवं उनके अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में पर्याप्त दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों का सही अनुपालन नहीं करने की वजह से 2013-14 के कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों/उप-कोषागारों से कुल ₹14,79,076=00 ( चौदह लाख उन्यासी हजार छिहतर रुपये) रुपये की पेंशन/परिवारिक पेंशन का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-11) में दर्शाया गया है।

अनुशांसा: निरीक्षण प्रतिवेदन में पेंशन संबंधित उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के संदर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये एवं नियमानुकूल सुधारात्मक कदम उठाते हुए इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दिया जाना चाहिए।

### 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी

1. झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 187 के अनुसार प्रत्येक कोषागार में एक पंजी टी0सी0 फार्म 14 के साथ खोला जाना चाहिए जिसमें सरकारी राजपत्रित अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते/अवकाश वेतन की निकासी से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण दर्शाया जाना चाहिए। महालेखाकार के समय-समय पर प्राप्त वेतन पर्ची का विवरण या अवकाश वेतन प्रमाण पत्र और अन्य कोषागार से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाये गये वसुलियों का विस्तृत विवरण वेतन

- पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए । नमूना हस्ताक्षर विधिवत राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित भी प्राप्त कर वेतन पंजी में लगाया जाना चाहिये। उक्त प्रावधानों का अनुपालन कुछ कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-12) में दर्शाया गया है ।
2. कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि महालेखाकार के वेतन पर्ची के बिना कुछ राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/वेतन मद में कुल ₹14,24,443 (चौदह लाख चौबीस हजार चार सौ तैंतालिस रूपये ) का अधिक आहरण किया गया । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-13) में दर्शाया गया है ।
  3. राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि में कम कटौती – नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि में न्यूनतम राशि की कटौती उनके वेतन + ग्रेड वेतन का 6% की न्यूनतम कटौती की जानी चाहिए। कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि की न्यूनतम से कम कटौती की जा रही है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-14) में दर्शाया गया है ।
  4. लाईसेंस शुल्क की वसूली न किया जाना – कोषागार निरीक्षण के दौरान लाईसेंस शुल्क की वसूली न किये जाने से संबंधित कुछ मामले प्रकाश में आए हैं । ऐसे मामलों में यह ज्ञात हुआ है कि राजपत्रित पदाधिकारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है परन्तु उनके मासिक वेतन से लाईसेंस शुल्क की कटौती नहीं की जा रही है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-15) में दर्शाया गया है ।
  5. आयकर की कटौती समान मासिक किस्तों में न किया जाना – कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोषागारों/उप-कोषागारों में राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन से आयकर की कटौती समान मासिक किस्तों में नहीं किया जा रहा है जो आयकर अधिनियम के विरुद्ध है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-16) में दर्शाया गया है ।
  6. पेशेवर कर की कटौती न किया जाना – कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोषागारों/उप-कोषागारों में राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन से पेशेवर कर की कटौती नहीं किया जा रहा है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-17) में दर्शाया गया है ।

### **3.5 यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम की राशि का सामायोजन नहीं किया जाना**

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम कुल राशि ₹5,20,353/—( पांच लाख बीस हजार तीन सौ तिरपन रुपये ) का सामायोजन कोषागार निरीक्षण की अवधि तक नहीं किया गया है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-18) में दर्शाया गया है ।

### **3.6 ठेकेदारों को संघटन अग्रिम/उपक्रम अग्रिम/व्यय भुगतान पर आयकर की कटौती न किया जाना**

आयकर अधिनियम (सेक्सन 194C) के अन्तर्गत ठेकेदारों को संघटन अग्रिम/उपक्रम अग्रिम/व्यय भुगतान पर आयकर की कटौती किया जाना चाहिए ।

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोषागारों/उप-कोषागारों में ठेकेदारों को संघटन अग्रिम/उपक्रम अग्रिम/व्यय भुगतान का भुगतान करते समय आयकर की कटौती नहीं किया गया है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-19) में दर्शाया गया है ।

### **3.7 कोषागार में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाना**

कोषागार कार्यालय द्वारा प्रतिपादित लेखा जिसके आधार पर वित्तीय लेखा तैयार किये जाते हैं, ये प्राथमिक रूप से प्रारंभिक तथा सहायक लेखों की तैयारी एवं इसकी शुद्धता के साथ साथ ऐसे लेखों और लेन-देन से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार वित्तीय लेन-देन की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होते हैं ।

यह विशेष रूप से आवश्यक है कि कोषागार का प्रबंधन एवं कार्यकलाप को सही ढंग से अपनाई जाय ताकि लेखों की सुरक्षा एवं गलत विवरणी पर उचित नियंत्रण रखा जा सके तथा आवश्यक वित्तीय अनुशासन का पालन हो सके ।

झारखण्ड राज्य के 26 कोषागारों एवं 06 उप-कोषागारों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जाता है । कोषागार निरीक्षण के क्रम में कई कमियां/विसंगतियां पाई गई ।

कुछ कोषागारों में जमा एवं नगद का समय समय पर जांच, महालेखाकार को व्ययगत जमा की सूची भेजने एवं राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन पंजी का अनुरक्षण से संबंधित त्रुटियां पाई गई हैं जिसका कोषागारवार विवरण (परिशिष्ट संख्या-20) में दर्शाया गया है ।

### 3.8 उच्चतर अधिकारी द्वारा कोषागार का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 73 के अनुसार सभी समाहर्ता अपने कोषागार का छः माह में कम से कम एक बार एवं उप-कोषागार के मामले में वर्ष में एक बार व्यवस्थित निरीक्षण अवश्य करें ।

कोषागार के काम-काज, सामान्य प्रशासन एवं उचित नियंत्रण के लिए आयुक्त, सरकार के प्रति तुरंत जिम्मेदार है । उन्हें कम से कम हर तिमाही में कोषागार में जमा राशि के संबंध में निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेना चाहिये । इसी प्रकार मुद्रांक, प्रतिभूतियां, डाफ्ट एवं चेक प्रपत्र के लिए वार्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिये । उपायुक्त को कम से कम एक बार तिमाही में निरीक्षण करना चाहिये कि जमा पंजी में सभी आवश्यक प्रविष्टियां निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है और प्रत्येक लेन-देन के ससमय हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं । साथ ही उनकी जिम्मेदारी है कि महालेखाकार को भेजा जाने वाला लेखा सही और निर्धारित अवधि के अन्दर प्रेषित किया जाये ।

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कई कोषागारों/उप-कोषागारों का निरीक्षण उच्चतर अधिकारी द्वारा काफी लम्बे समय से नहीं किया गया है । विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-21) में दर्शाया गया है ।

अनुशंसा : उच्चतर अधिकारी द्वारा कोषागार की सावधिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

### 3.9 कोषागारों की सुरक्षा

1. झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 121 के अनुसार कोषागार पदाधिकारी को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लोक निर्माण विभाग से प्रत्येक वर्ष बज्र गृह से संबंधित सुदृढ़ता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोषागारों द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसकी सूची (परिशिष्ट संख्या-22) में दर्शाया गया है ।
2. झारखण्ड कोषागार संहिता भाग एक के नियम 121 के अनुसार कोषागार के बज्र गृह में पदस्थापित पुलिस बल की तैनाती के संबंध में एक आदेश बज्र गृह के बाहर एक निश्चित स्थान में सूचित की जानी चाहिये । कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोषागारों में पुलिस बल की तैनाती से संबंधित आदेश उपलब्ध नहीं है । जिसकी सूची (परिशिष्ट संख्या-22) में दर्शाया गया है ।
3. कोषागार के बज्र गृह के उपयोग हेतु लगाये गये अग्निशमन यंत्र को यथा स्थान पर स्थापित एवं कार्यशील स्थिति में होना चाहिये । परन्तु वर्ष 2013-14 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषागार के बज्र गृह के उपयोग हेतु लगाये गये अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में नहीं है । जिसकी सूची (परिशिष्ट संख्या-22) में दर्शाया गया है ।

### 3.10 मुद्रांक लेखों का संधारण

#### 3.10.1 न्यायिक/गैर-न्यायिक मुद्रांको का आवश्यकता से अधिक भंडारण किया जाना

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोषागारों द्वारा उपयोग से अधिक मुद्रांको का भंडारण किया गया है जिसका विवरण (परिशिष्ट संख्या-23) में दर्शाया गया है ।

#### 3.10.2 अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में अनावश्यक भण्डारण किया जाना

बिहार स्टाम्प मेनुअल के नियम 38 के अनुसार सचिव, रेवन्यु बोर्ड को अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों के निस्तारण हेतु अनुरोध किया जाना चाहिये ।

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कुछ कोषागारों द्वारा अनावश्यक रूप से अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में भण्डारण कर रखा गया है एवं इसके निस्तारण के संबंध में कोषागार पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है । जिसका विवरण (परिशिष्ट संख्या-24) में दर्शाया गया है ।

#### 3.10.3 जमीनदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निस्तारण नहीं किया जाना

बिहार स्टाम्प मेनुअल के नियम 38 के अनुसार सचिव, रेवन्यु बोर्ड को अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों के निस्तारण हेतु अनुरोध किया जाना चाहिये ।

कोषागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कुछ कोषागारों द्वारा अनावश्यक रूप से जमीनदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र को बज्र गृह में भण्डारण कर रखा गया है जो उपयोग में नहीं है, इसके निस्तारण के संबंध में भी कोषागार पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गयी है जिसका विवरण (परिशिष्ट संख्या-25) में दर्शाया गया है ।

### 3.11 सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी विवरण

3.11.1 झारखण्ड राज्य में 26 जिला कोषागार एवं 06 उप-कोषागार है एवं सभी कोषागार/उप-कोषागार एनआईसी के तकनीकी नियंत्रण, रांची के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची में स्थित वेब आधारित केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हैं। सभी कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए कुबेर के नाम से एक यूनिफार्म पैकेज प्रयोग में लाया गया है ।

- 3.11.2** डाटाबेस में सभी सुधार सुनिश्चित करने हेतु कोषागार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई मानक तंत्र विकसित नहीं किया गया है। हालाँकि डाटाबेस में सभी सुधार डिजाइन द्वारा सम्मिलित किया गया है, जैसे केन्द्रीय डाटाबेस सर्वर एवं क्लाईन्ट टेक्नोलॉजी संचालित होता है।
- 3.11.3** डी0टी0ओ0 डाटाबेस एवं एस0टी0ओ0 डाटाबेस में कोई भिन्नता नहीं है। मास्टर डाटाबेस के माध्यम से खातों/लेखों की मदों की पुष्टि की जाती है।
- 3.11.4** कोई मानक बैकअप नीति विकसित नहीं की गयी है।
- 3.11.5** डाटा/सिस्टम की रक्षा के लिए कोई तर्क-संगत/भौतिक सुरक्षा कार्यान्वित नहीं किया गया है।
- 3.11.6** विभागीय आँकड़ों/डाटा के साथ कोषागार आँकड़ें/डाटा के गैर समाधान पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई इनविल्ट प्रावधान नहीं किये गये हैं।
- 3.11.7** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड को अद्यतन नहीं किया जाना :- कोषागार निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि डाटा बेस में नये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का कोड आवंटित करने की व्यवस्था है परन्तु वैसे अधिकारियों का जो उस कोषागार में अपेक्षित नहीं है को अद्यतन करने की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण अनावश्यक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कोड उक्त डाटाबेस में प्रदर्शित होते रहते हैं।
- 3.11.8** कुछ कोषागारों में प्रौद्योगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है अथवा स्टॉक रजिस्टर में कम्प्युटर से संबंधित अन्य चीजों का जैसे सर्वर, प्रिंटर का पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिसका विवरण (परिशिष्ट संख्या-26) में दर्शाया गया है।



## परिशिष्ट - 1

(कंडिका 1.1 संरचना एवं संगठन)

झारखण्ड राज्य स्थित कोषागारों/उप-कोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	जिला मुख्यालय	प्रमंडल का नाम	क्रम संख्या	कोषागार के अन्तर्गत कार्यरत उप-कोषागार
1	दुमका	दुमका	संथालपरगना प्रमंडल, दुमका		
2	देवघर	देवघर	—वही—	1	मधुपुर
3	साहेबगंज	साहेबगंज	—वही—	2	राजमहल
4	गोड्डा	गोड्डा	—वही—		
5	पाकुड़	पाकुड़	—वही—	3	महेशपुर
6	जामताड़ा	जामताड़ा	—वही—		
7	हजारीबाग	हजारीबाग	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग		
8	चतरा	चतरा	—वही—		
9	गिरिडीह	गिरिडीह	—वही—		
10	धनबाद	धनबाद	—वही—		
11	बोकारो	बोकारो	—वही—	4	तेनुघाट
12	कोडरमा	कोडरमा	—वही—		
13	रामगढ़	रामगढ़	—वही—		
14	राँची	राँची	दक्षिणी छोटानागपुर, प्रमंडल, राँची		
15	प्रोजेक्ट भवन	राँची	—वही—		
16	लोहरदगा	लोहरदगा	—वही—		
17	गुमला	गुमला	—वही—		
18	डोरन्डा	राँची	—वही—		
19	सिमडेगा	सिमडेगा	—वही—		
20	पश्चिम सिंहभुम	चाईबासा	कोल्हान प्रमंडल,	5	चक्रधरपुर
21	पूर्वी सिंहभुम	जमशेदपुर	—वही—	6	घाटशिला
22	सरायकेला	सरायकेला	—वही—		
23	खुँटी	खुँटी	—वही—		
24	पलामू	डाल्टेनगंज	पलामू प्रमंडल,		
25	गढ़वा	गढ़वा	—वही—		
26	लातेहार	लातेहार	—वही—		

## परिशिष्ट - 2

(कंडिका 1.1 संरचना एवं संगठन)  
निरीक्षण किये गये कोषागारों एवं उप कोषागारों का विवरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप-कोषागार का नाम	निरीक्षण की तिथि	
		कब से	कब तक
1	चतरा	13.05.2013	20.05.2013
2	गढ़वा	22.05.2013	30.05.2013
3	पलामू	31.05.2013	07.06.2013
4	लातेहार	08.06.2013	15.06.2013
5	प्रोजेक्ट भवन, राँची	17.06.2013	24.06.2013
6	गुमला	26.06.2013	03.07.2013
7	लोहरदगा	04.07.2013	12.07.2013
8	राँची	13.07.2013	20.07.2013
9	डोरन्डा	22.07.2013	29.07.2013
10	खुँटी	30.07.2013	06.08.2013
11	चक्रधरपुर	07.08.2013	10.08.2013
12	सिमडेगा	12.08.2013	20.08.2013
13	चाईबासा	21.08.2013	03.09.2013
14	सरायकेला	04.09.2013	12.09.2013
15	जमशेदपुर	13.09.2013	21.09.2013
16	घाटशिला	23.09.2013	25.09.2013
17	बोकारो	15.10.2013	23.10.2013
18	तेनुघाट	24.10.2013	26.10.2013
19	साहेबगंज	28.10.2013	02.11.2013
20	राजमहल	04.11.2013	07.11.2013
21	पाकुड़	18.11.2013	25.11.2013
22	महेशपुर	26.11.2013	28.11.2013
23	गोड्डा	29.11.2013	06.12.2013
24	दुमका	07.12.2013	14.12.2013
25	रामगढ़	19.12.2013	26.12.2013
26	हजारीबाग	27.12.2013	03.01.2014
27	कोडरमा	04.01.2014	11.01.2014
28	धनबाद	13.01.2014	21.01.2014
29	गिरिडीह	29.01.2014	06.02.2014
30.	जामताड़ा	07.02.2014	13.02.2014
31	मधुपुर	15.02.2014	18.02.2014
32	देवघर	19.02.2014	26.02.2014

## परिशिष्ट - 3

(कंडिका 1.1 संरचना एवं संगठन)

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	कर्मचारी की स्थिति	
		स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	बोकारो	13	07
2	चाईबासा	35	13
3	चक्रधरपुर	04	07
4	चतरा	12	07
5	देवघर	15	10
6	धनबाद	33	13
7	डोरन्डा	23	11
8	दुमका	21	13
9	गढ़वा	15	10
10	घाटशिला	02	04
11	गिरिडीह	18	12
12	गोड्डा	17	11
13	गुमला	25	09
14	हजारीबाग	35	12
15	जमशेदपुर	31	08
16	जामताड़ा	12	05
17	खुँटी	06	03
18	कोडरमा	11	06
19	लातेहार	09	05
20	लोहरदगा	12	06
21	मधुपुर	03	03
22	महेशपुर	05	03
23	पाकुड़	10	07
24	पलामू	23	08
25	प्रोजेक्ट भवन	19	10
26	राजमहल	06	04
27	रामगढ़	03	05
28	राँची	73	16
29	साहेबगंज	11	03
30	सरायकेला	11	07
31	सिमडेगा	11	08
32	तेनुघाट	07	03

## परिशिष्ट - 4

कंडिका 2.4 स्थानीय निधि खाता  
झारखण्ड राज्य स्थित स्थानीय निधि खातों की कोषागारवार सूची

क्रमांक	कोषागार/उप कोषागार का नाम	स्थानीय निधि खातों का नाम	शेष राशि
1	राँची	i. आर0आ0डी0ए0 राँची ii. नगर निगम, राँची iii. जिला परिषद, राँची iv. नगर पंचायत, राँची v. रिम्स, राँची vi. पॉल्टी फार्म, होटवार, राँची vii. ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण, राँची viii. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, राँची ix. झारखण्ड एरिया लिफ्ट एरिगेशन कारपोरेशन, राँची	112487575.25 431414403.38 651114377.59 18960722.00 477951814.00 7572464.78 1319324819.00 2008039937.00 99108245.00
2	कोडरमा	i. नगर परिषद, कोडरमा ii. जिला परिषद, कोडरमा iii. नगर पंचायत, कोडरमा	74851461.00 80480586.00 140742622.00
3	चतरा	i. नगर निगम, चतरा ii. जिला परिषद, चतरा	83691519.83 49054464.00
4	देवघर	i. जिला परिषद, देवघर ii. नगर निगम, देवघर iii. लॉजिंग हाउस, देवघर	41314084.33 464666490.82 27.00
5	खुँटी	i. जिला परिषद, खुँटी ii. नगर पंचायत, खुँटी	38832914.00 53432694.00
6	पाकुड़	i. नगर निगम, पाकुड़ ii. जिला बोर्ड, पाकुड़ iii. मेसो, पाकुड़ iv. एकीकृत आदिवासी विकास, एजेन्सी	196295462.85 103946445.00 58472940.00
7	लातेहार	i. जिला परिषद, लातेहार ii. नगर पंचायत, लातेहार iii. मेसो एरिया, लातेहार	45657404.00 75434876.00 9824275.00
8	सरायकेला	i. जिला परिषद, सरायकेला ii. नगर निगम, सरायकेला iii. एन0ए0सी0, आदित्यपुर iv. एन0ए0सी0, खरसांवा	28029585.00 62404651.00 99314018.00 12875594.00

9	सिमडेगा	i. जिला बोर्ड, सिमडेगा ii. एन0ए0सी0, सिमडेगा	504929.00 84061870.76
10	चाईबासा	i. जिला परिषद, चाईबासा ii. नगर निगम, चाईबासा	236246361.00 234151523.45
11	पलामू	i. जिला परिषद, पलामू ii. नगर निगम, पलामू iii. एन0ए0सी0, हुसैनाबाद iv. नगर पंचायत, विश्रामपुर	252449808.50 158833491.19 55681142.00 51647410.00
12	दुमका	i. वासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका ii. नगर पंचायत, दुमका iii. जिला परिषद, दुमका	126813092.50 351778532.67 79173141.17
13	घाटशिला	i. नगर पंचायत, चाकुलिया	41259201.00
14	साहेबगंज	i. जिला बोर्ड, साहेबगंज ii. नगर पंचायत, साहेबगंज iii. परियोजना पदाधिकारी, मेसो, साहेबगंज iv. डी0डी0सी सह मुख्य कार्यकारी कार्यालय, साहेबगंज	66091049.00 187150263.30 82287401.00 .....
15	धनबाद	i. नगर निगम, धनबाद ii. नगर पंचायत, चिरकुन्डा iii. जिला परिषद, धनबाद iv. एम0ए0डी0ए0, धनबाद	1147389452.20 50191200.00 416489429.54 5806014.63
16	जमशेदपुर	i. जिला परिषद, जमशेदपुर ii. नगर निगम, जुगसलाई iii. एन0ए0सी0, जमशेदपुर iv. एन0ए0सी0, मानगो	526775859.00 44085263.07 617413385.00 137580740.00
17	गढ़वा	i. जिला बोर्ड, गढ़वा ii. नगर निगम, गढ़वा iii. नगर निगम, मझिऑव	87939223.00 111316787.00 .....
18	राजमहल	i. नगर पंचायत, राजमहल	19250446.00
19	मधुपुर	i. नगर निगम, मधुपुर	122162245.00
20	चक्रधरपुर	i. नगर निगम, चक्रधरपुर	114513559.79
21	जामताड़ा	i. जिला बोर्ड, जामताड़ा ii. नगर पंचायत, जामताड़ा iii. नगर पंचायत, मिहिजाम	16649416.78 145479197.33 38399956.05
22	गुमला	i. जिला परिषद, गुमला ii. नगर पंचायत, गुमला	67445137.00 87684985.75

23	गिरिडीह	i. नगर निगम, गिरिडीह ii. जिला परिषद, गिरिडीह iii. परिवहन निगम, गिरिडीह	196372108.00 101951350.00 15480.00
24	लोहरदगा	i. जिला परिषद, लोहरदगा ii. नगर पंचायत, लोहरदगा	19781892.70 117867576.28
25	हजारीबाग	i. जिला परिषद, हजारीबाग ii. नगरपालिका कोष, हजारीबाग iii. माईनिंग बोर्ड, हजारीबाग	77410271.00 196215922.08 1229853.00
26	बोकारो	i. जिला परिषद, बोकारो ii. नगर निगम चास, बोकारो	67683770.00 92693648.00
27	गोड्डा	i. पंचायत बॉडी कोष, गोड्डा ii. नगर निगम, गोड्डा	43902757.00 63302634.33
28	तेनुघाट	i. एन0ए0सी0 फुसरो, तेनुघाट	88969888.67
29	डोरन्डा	i. शिक्षा परिषद, राँची ii. आयडा, राँची iii. वियाडा, राँची iv. पर्यटन, राँची v. जे0एस0ई0बी0, राँची vi. जिडको, राँची vii. झारक्राफ्ट, राँची viii. जेरेडा, राँची ix. जे0आर0 खादी बोर्ड, राँची x. रियाडा, राँची xi. एसपियाडा, राँची xii. जे0एस0बी0 एस0 एन0 पी0 एस0 राँची xiii. एम0डी0 झारखण्ड उजाला विकास निगम, राँची xiv. एम0डी0 झारखण्ड उजाला विकास निगम, राँची xv. एम0डी0 झारखण्ड उजाला उत्पादन निगम, राँची vi. एम0डी0 झारखण्ड उजाला उत्पादन निगम, राँची xvii. विज्ञान एवं तकनिकि	120916673.00 179507581.00 20515523.00 85255504.00 6854656375.00 92169406.00 612754000.00 1136521949.00 5067162.00 51866737.00 91701541.00 167387644.00 Nil ..... ..... ..... .....
30	प्रोजेक्ट भवन, राँची	i. झारखण्ड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, राँची ii. उच्च शिक्षा, राँची iii. जैप आइ0टी0 राँची iv. झारखण्ड स्पेस एपलिकेशन सेंटर v. झारखण्ड स्टेट एस0टी0 कोरपोरेटड, डेवलपमेंट, राँची	169228845.00 885087702.80 727729885.00 99396654.00 1461105899.00
31	रामगढ़	i. जिला परिषद, रामगढ़	7500000.00

## परिशिष्ट - 5

(कंडिका 3.2)

वर्ष 2013-14 में कोषागारों एवं उप-कोषागारों के निरीक्षण के दौरान निर्गत किये गये  
कंडिकाओं एवं उप-कंडिकाओं का विवरण

क्रमांक	कोषागार/उप-कोषागार का नाम	निर्गत तिथि	कंडिका संख्या	उप-कंडिका संख्या
1	बोकारो	21.11.2013	14	14
2	चाईबासा	22.10.2013	20	43
3	चक्रधरपुर	09.10.2013	09	10
4	चतरा	28.06.2013	09	15
5	देवघर	12.03.2013	19	35
6	धनबाद	08.05.2014	17	20
7	डोरन्डा	09.10.2013	11	21
8	दुमका	28.01.2014	22	27
9	गढ़वा	28.06.2013	14	18
10	घाटशिला	25.10.2013	14	18
11	गिरिडीह	05.03.2014	20	34
12	गोड्डा	28.01.2014	19	31
13	गुमला	29.07.2013	11	19
14	हजारीबाग	06.05.2014	14	30
15	जमशेदपुर	30.10.2013	18	42
16	जामताड़ा	05.03.2014	19	30
17	खूंटी	09.10.2013	09	13
18	कोडरमा	05.05.2014	19	34
19	लातेहार	01.07.2013	09	15
20	लोहरदगा	30.07.2013	20	31
21	मधुपुर	10.03.2013	14	22
22	महेशपुर	16.01.2014	06	06
23	पाकुड़	16.01.2014	16	16
24	पलामू	01.07.2013	14	24
25	प्रोजेक्ट भवन	02.08.2013	13	20
26	राजमहल	28.11.2013	10	08
27	रामगढ़	20.03.2013	10	27
28	राँची	05.09.2013	15	16
29	साहेबगंज	26.11.2013	17	20
30	सरायकेला	24.10.2013	19	51
31	सिमडेगा	09.10.2013	09	18
32	तेनुघाट	26.11.2013	06	06
<b>कुल</b>			<b>456</b>	<b>734</b>

## परिशिष्ट -6

(कंडिका 3.2 विलोपित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका)

वर्ष 2013-14 में विलोपित की गई कंडिकाओं / उप कंडिकाओं की सूची

क्रमांक	कोषागार/उप-कोशागार का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	विलोपित कंडिकाओं की	विलोपित उप-कंडिकाओं की
1	बोकारो	2012-13	09	03
2	चाईबासा	2001-02	02	08
		2007-08	00	01
		2008-09	01	00
		2012-13	11	09
3	चक्रधरपुर	2012-13	07	11
4	चतरा	2007-08	01	06
		2008-09	01	01
		2009-10	00	01
		2010-11	00	02
		2011-12	01	00
		2012-13	06	07
5	देवघर	2005-06	02	05
		2007-08	03	01
		2008-09	01	01
		2009-10	01	00
		2010-11	05	02
		2011-12	08	00
		2012-13	19	29
6	धनबाद	2002-03	01	00
		2004-05	00	01
		2006-07	00	01
		2007-08	00	03
		2009-10	01	00
		2010-11	01	03
		2012-13	16	21
7	डोरन्डा	2012-13	12	15
8	दुमका	2008-09	00	01
		2012-13	15	06
9	गढ़वा	2004-05	01	01
		2005-06	01	01
		2007-08	01	00
		2012-13	09	22
10	घाटशिला	2005-06	01	02
		2007-08	01	00
		2008-09	01	05



		2009-10	02	02
		2011-12	02	00
		2012-13	06	11
11	गिरिडीह	2000-01	01	00
		2002-03	02	06
		2006-07	02	08
		2007-08	01	02
		2008-09	02	00
		2009-10	03	04
		2010-11	01	00
		2011-12	02	02
		2012-13	16	34
12	गोड्डा	2004-05	01	01
		2012-13	17	21
13	गुमला	2001-02	00	01
		2011-12	00	01
		2012-13	07	25
14	हजारीबाग	2012-13	09	29
15	जमशेदपुर	2003-04	00	02
		2004-05	01	03
		2006-07	00	04
		2008-09	02	06
		2010-11	01	01
		2011-12	00	01
		2012-13	10	21
16	जामताड़ा	2007-08	01	00
		2009-10	03	02
		2011-12	01	01
		2012-13	18	20
17	खुँटी	2012-13	08	08
18	कोडरमा	2008-09	00	01
		2009-10	02	01
		2011-12	00	02
		2012-13	08	09
19	लातेहार	2009-10	01	01
		2011-12	02	01
		2012-13	04	11
20	लोहरदगा	2007-08	00	02
		2008-09	02	08
		2010-11	02	04
		2012-13	16	23
21	मधुपुर	2005-06	00	02

		2009-10	02	01
		2011-12	01	01
		2012-13	11	14
22	महेशपुर	2012-13	02	08
23	पाकुड़	2002-03	01	00
		2012-13	16	24
24	पलामू	2000-01	00	01
		2002-03	02	00
		2009-10	01	01
		2011-12	01	01
		2012-13	10	17
25	राजमहल	2009-10	01	01
		2011-12	03	02
		2012-13	06	08
26	रामगढ़	2011-12	00	10
		2012-13	09	07
27	राँची	2007-08	02	02
		2009-10	01	01
		2010-11	02	00
		2011-12	01	01
		2012-13	16	22
28	साहेबगंज	2007-08	01	01
		2008-09	01	10
		2009-10	01	05
		2011-12	01	03
		2012-13	15	11
29	सरायकेला	2007-08	00	02
		2008-09	01	00
		2010-11	02	00
		2012-13	09	09
30	सिमडेगा	2012-13	12	07
31	तेनुघाट	2007-08	03	06
		2008-09	00	01
		2009-10	02	03
		2010-11	01	03
		2011-12	01	02
		2012-13	06	03
<b>कुल योग</b>			<b>439</b>	<b>638</b>

## परिशिष्ट -7

(कंडिका 3.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका)  
वर्ष 2013-14 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

क्रमांक	कोषागार/उप-कोषागार का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लंबित कंडिका	लंबित उप-कंडिका
1	बोकारो	2009-10	02	03
		2010-11	01	02
		2011-12	01	01
		2012-13	05	02
		2013-14	14	14
2	चाईबासा	2001-02	01	05
		2003-04	01	04
		2006-07	1	00
		2007-08	04	21
		2008-09	03	03
		2009-10	01	00
		2010-11	03	01
		2011-12	01	00
		2012-13	04	05
		2013-14	20	43
3	चक्रधरपुर	2007-08	01	02
		2008-09	01	04
		2009-10	03	09
		2010-11	01	00
		2011-12	01	01
		2012-13	03	07
		2013-14	09	10
4	चतरा	2000-01	02	05
		2002-03	02	02
		2005-06	01	01
		2006-07	02	03
		2007-08	01	02
		2008-09	03	02
		2009-10	03	02
		2010-11	01	01
		2011-12	01	00
		2013-14	09	15
5	देवघर	2008-09	02	01
		2012-13	01	01
		2013-14	19	35
6	धनबाद	2002-03	03	04

		2004-05	01	01
		2006-07	01	02
		2007-08	01	01
		2008-09	01	04
		2009-10	02	01
		2012-13	01	03
		2013-14	17	20
7	डोरन्डा	2005-06	01	03
		2006-07	01	02
		2007-08	01	03
		2008-09	01	12
		2009-10	01	00
		2010-11	03	01
		2011-12	01	01
		2012-13	01	04
		2013-14	11	21
8	दुमका	2001-02	02	05
		2003-04	01	03
		2005-06	01	01
		2008-09	03	11
		2009-10	03	02
		2010-11	02	02
		2011-12	05	03
		2012-13	06	17
		2013-14	22	27
9	गढ़वा	2004-05	01	00
		2005-06	01	00
		2011-12	02	00
		2012-13	04	05
		2013-14	14	18
10	घाटशिला	2003-04	01	07
		2007-08	01	01
		2008-09	01	01
		2010-11	02	00
		2011-12	01	00
		2012-13	03	07
		2013-14	14	18
11	गिरिडीह	2000-01	02	04
		2008-09	01	03
		2010-11	01	02
		2013-14	20	34
12	गोड्डा	2001-02	02	06

		2002-03	01	01
		2003-04	01	01
		2008-09	01	05
		2009-10	01	00
		2010-11	01	00
		2012-13	04	04
		2013-04	19	31
13	गुमला	2001-02	04	06
		2002-03	02	06
		2004-05	01	01
		2005-06	02	02
		2007-08	03	03
		2010-11	01	03
		2011-12	02	02
		2013-14	11	19
14	हजारीबाग	2001-02	01	02
		2004-05	02	03
		2007-08	02	03
		2008-09	04	15
		2009-10	03	02
		2010-11	01	01
		2011-12	01	01
		2012-13	11	17
		2013-14	14	30
15	जमशेदपुर	2003-04	01	03
		2006-07	01	04
		2011-12	02	03
		2012-13	04	11
		2013-14	18	42
16	जामताड़ा	2012-13	01	01
		2013-14	19	30
17	खुँटी	2001-02	01	00
		2003-04	02	04
		2005-06	02	07
		2007-08	02	07
		2008-09	02	15
		2009-10	05	04
		2010-11	01	00
		2011-12	08	03
		2012-13	02	07
		2013-14	09	13
18	कोडरमा	2000-01	01	02

		2001-02	01	02
		2002-03	02	05
		2005-06	01	01
		2007-08	02	09
		2008-09	01	03
		2009-10	02	01
		2010-11	01	02
		2011-12	05	04
		2012-13	09	11
		2013-14	19	34
19	लातेहार	2001-02	09	06
		2007-08	05	06
		2009-10	01	01
		2010-11	01	01
		2011-12	01	03
		2012-13	02	04
		2013-14	09	05
20	लोहरदगा	2000-01	02	04
		2001-02	03	08
		2002-03	01	01
		2004-05	01	01
		2006-07	01	01
		2007-08	01	02
		2009-10	02	02
		2012-13	01	00
		2013-14	20	31
21	मधुपुर	2005-06	01	02
		2013-14	14	22
22	महेशपुर	2007-08	02	04
		2012-13	08	08
		2013-14	06	06
23	पाकुड़	2000-01	03	07
		2002-03	01	02
		2005-06	03	02
		2007-08	01	00
		2008-09	03	04
		2009-10	05	04
		2010-11	02	02
		2011-12	01	03
		2012-13	03	00
		2013-14	16	16
24	पलामू	2000-01	01	03

		2002-03	02	01
		2012-13	02	05
		2013-14	14	24
25	प्रोजेक्ट भवन	2004-05	01	02
		2005-06	01	04
		2007-08	01	04
		2008-09	03	08
		2009-10	03	12
		2010-11	02	02
		2011-12	01	04
		2012-13	10	24
		2013-14	13	20
26	राजमहल	2008-09	02	02
		2009-10	01	01
		2011-12	03	03
		2012-13	02	01
		2013-14	10	08
27	रामगढ़	2003-04	01	01
		2008-09	01	02
		2009-10	02	01
		2010-11	01	01
		2011-12	02	02
		2012-13	02	07
		2013-14	10	27
28	राँची	2001-02	02	12
		2010-11	01	07
		2013-14	15	16
29	साहेबगंज	2004-05	01	02
		2007-08	01	01
		2008-09	01	05
		2010-11	01	00
		2011-12	01	01
		2012-13	01	03
		2013-14	17	20
30	सरायकेला	2007-08	02	02
		2008-09	01	06
		2010-11	04	02
		2012-13	03	11
		2013-14	19	51

31	सिमडेगा	2005-06	01	03
		2007-08	03	19
		2008-09	03	06
		2009-10	03	04
		2010-11	02	01
		2011-12	01	01
		2012-13	03	08
		2013-14	09	18
32	तेनुघाट	2003-04	01	03
		2008-09	01	01
		2009-10	01	04
		2011-12	01	03
		2012-13	02	04
		2013-14	06	06
<b>कुल योग</b>			<b>839</b>	<b>1400</b>



## परिशिष्ट - 8

(कंडिका 3.3.1 पेंशन संबंधित अभिलेख)

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	झा0को0सहि0 भाग-1 के नियम 371 के तहत विवाह/पुनर् विवाह प्रमाण पत्र पेश किया गया	झा0को0सहि0 भाग-1 के नियम 386 के तहत जीवित प्रमाण पत्र पेश किया गया	झा0को0सहि0 भाग-1 के नियम 372 के तहत रोजगार/पुनः रोजगार प्रमाण पत्र पेश किया गया	पी0पी0ओ0 में भाग-6 भरा गया	पी0पी0ओ0 में भाग-3 भरा गया
1	बोकारो	√	√	√	√	x
2	चाईबासा	x	x	x	√	√
3	चक्रधरपुर	√	√	√	x	x
4	चतरा	√	√	√	√	√
5	देवघर	x	x	x	x	x
6	धनबाद	√	√	√	√	√
7	डोरन्डा	√	√	√	√	√
8	दुमका	√	√	x	x	x
9	गढवा	√	√	√	√	√
10	घाटशिला	x	√	√	x	x
11	गिरिडीह	x	x	x	x	√
12	गोड्डा	√	√	√	x	x
13	गुमला	√	√	√	√	√
14	हजारीबाग	√	√	√	√	√
15	जमशेदपुर	√	√	√	√	x
16	जामताड़ा	√	√	√	x	√
17	खुँटी	x	√	√	√	√
18	कोडरमा	√	√	√	√	x
19	लातेहार	√	√	√	√	x
20	लोहरदगा	√	√	√	x	x
21	मधुपुर	x	√	√	√	√
22	महेशपुर	√	√	√	x	√
23	पाकुड़	√	√	√	√	√
24	पलामू	√	√	√	√	x
25	प्रोजेक्ट भवन	संबंधित नहीं है				
26	राजमहल	√	√	√	√	√
27	रामगढ़	√	√	√	√	√
28	राँची	√	√	√	x	x
29	साहेबगंज	√	√	√	x	√
30	सरायकेला	√	√	√	x	x
31	सिमडेगा	x	√	√	x	√
32	तेनुघाट	√	√	√	√	x
अनुपालन किया गया √			अनुपालन नहीं किया गया x			

## परिशिष्ट - 9

(कंडिका 3.3.2 पेंशन संबंधित अभिलेख)

पेंशनधारी के मृत्यु के उपरान्त पेंशन प्राप्ति हेतु अन्य दावेदारों के नहीं होने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेशों को महालेखाकार कार्यालय को वापस नहीं किया जाना

क्रमांक	कोषागार/उप कोषागार का नाम	पेंशनधारी का नाम	पी0पी0ओ0 संख्या
1	गोड्डा	योगेन्द्र प्रसाद शाह	GDDEDN17044

## परिशिष्ट - 10

(कंडिका 3.3.3 पेंशन संबंधित अभिलेख)

छः माह या अधिक की अवधि से पेंशन आहरण नहीं करने वाले पेंशनधारियों की सूची

क्रमांक	कोषागार/उप कोषागार का नाम	क्रम संख्या	पेंशनधारी का नाम श्री/श्रीमती	पी0पी0ओ0 संख्या
1	चाईबासा	1	श्रीमती सोनरो करवा	S/5313171
2	चतरा	1	सावित्री गुप्ता	EDN22191
		2	लक्ष्मण गोप	EDN22755
		3	उर्मिला देवी	S/000110
		4	रधिया देवी	DAD2431/S
		5	रामसुन्दर राम	FED3162
		6	चरकी घासी	S/99366
3	चकधरपुर	1	सुशीला हेम्ब्रम	141300458
		2	लोधरी जोनको	141300493
		3	मुकुन्द देव नायक	141203907
4	दुमका	1	श्री बैधनाथ टुडु	DMKEDN25898
		2	श्रीमती अरुण प्रभा महतो	DMKEDN26102
		3	श्री चारण सोरेन	DMKFMW2590
		4	श्रीमती जगनु बीबी	DMKFMW2318
		5	श्री श्रीधर हाजरा	DMKPOL2637
		6	श्रीमती पौली बनर्जी	DMKFMW2141
		7	श्री सज्जन गिरी	DMKPOL2449
		8	श्री बाबला मरांडी	DMKDAD5345
		9	श्री हुगलु हेम्ब्रोम	DMKDAD4679
		10	श्री सेबैटियन हाँसदा	DMKROD831
5	गढ़वा	1	श्री बच्चु खरवार	GRHDAD-43560
		2	दिधीया कनवर	GRHIRR-1537/S
		3	रीता देवी	NR-1284/S
		4	जीरा देवी	GRHFSH102/S
		5	सरस्वती कनवर	GRHDAD-3278/S
		6	चन्द्रकान्ती देवी पाण्डेय	GRHDAD-4444/S
		7	पनकुड़ी देवी	GRHDAD-5046/S
		8	पौल कनवर	GRHDAD-3371/S
		9	शान्ती देवी	GRHDAD-3201/S
		10	सोमनाथ राय	GRHDAD-3393
		11	केदार नाथ मिश्रा	GRHFOR-904
		12	जयराम उराँव	GRHFOR-968
		13	कौशल्या देवी	GRHFMW-1519
		14	दिलवर हुसैन	GRHIRR-2167/S
		15	राम जनम राम	GRHEDN-24969
		16	बुताई राम	GRHEDN-26760
		17	राजेश्वरी देवी	GRHEDN-26774/S

		18	राम नारायण पाण्डेय	GRHEDN-23059
		19	चिता देवी	GRHEDN-24416/S
		20	मुबीना बेगम	S/107024
		21	राम गहन राम	S/86335
		22	हुकुम देवी	GRHFOR-219
		23	अमोद कुमार सिन्हा	GRHFMW-0506/S
		24	बज्र नाथ सिंह	333496
		25	ठाकुर गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	393946
		26	उर्मिला देवी	S/79599
		27	जुलियस कच्छप	331381
		28	उर्मनी देवी	NR-1454/S
		29	जगदीश सिंह	111200992
		30	किशोरी पासवान	GRHACH-496
		31	गोपेश राम	GRHEDN-27149
		32	फागुनी राम	GRHEDN-27013
6	गोडडा	1	अर्जुन रविदास	GDDEDN24525
		2	शिवलाल हाँसदा	GDDEDN24212
		3	जय कान्त मिश्रा	GDDFIN101
		4	जय कृष्ण मिश्रा	GDDEDN26578
		5	बरखा मरांडी	GDDIRR2212
		6	रमानन्द सिंह	GDDFMW2095
		7	गंगा प्रसाद भगत	GDDEDN17406
7	जामताड़ा	1	बिरजा कर्मकार	141305563
		2	ठाकुरमोनी मिर्धा	141305673
		3	गनौरी मिस्त्री	111313185
8	लोहरदगा	1	फुल देवी	LDGHOM3304/S
		2	वीणा थापा	36589/S
		3	कलावन्ती देवी	247469
		4	शकलमणी देवी	S/79568
		5	अलोमणी टोप्पो	LDGEDN443/S
		6	बारती उराईन	290641
9	महेशपुर	1	मनोज कुमार हाँसदा	PKRFMW2365/S
		2	कल्पना हेम्ब्रम	S/001042
10	सरायकेला	1	सुश्री भारती महतो	SKL RVP 739/s
		2	सुश्री मंजु गगराई	SKLROD 344/S
		3	श्रीमती धातकी सोय	SKLFMW3140/S
		4	श्रीमती रतना गवाला	SKLIND063
		5	श्री प्रधान सुन्डी	NR-1587
		6	श्री कृष सोय	SKL FOR 1454/S

## परिशिष्ट - 11

(कंडिका 3.3.4 पेंशन संबंधित अभिलेख)  
अधिक पेंशन भुगतान से संबंधित विवरण

क्रमांक	कोषागार/उप कोषागार का नाम	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पी0पी0ओ0 संख्या	राशि
1	डोरन्डा	रामचन्द्र राम	DRNFOR1407	34,368=00
		राम इकबाल सिंह	DRNIRR2244	33450=00
		अंजनी शंकर वर्मा	DRNIRR2257	39488=00
		अश्रीत बाखला	DRNPAR4066	57,552=00
		मेरखा तिर्की	111200737	21,560=00
		जयंत चौबे	111201613	36,590=00
		रानी वर्मा	DRNRVP599	94,140=00
		प्रिशीला मिंज	DRNHMF3644	2,28,256=00
		सिंग रोय सोय	DRNPOL3221	57,148=00
		कमला प्रसाद सिंह	1113045510	2,74,608=00
		हरेश्वर प्रसाद सिंह	111203996	2,39,552=00
		चन्द्रदीप सिंह	111308422	11,658=00
		अमर कुमार सिन्हा	111307790	5,400=00
		प्रवीण कुमार मुखर्जी	111202579	18,752=00
		मेघनाथ प्रसाद	DRNPOL2976	41,040=00
गिरीजा देवी	111202728	52,656=00		
सौमेन्द्रा नाथ चटर्जी	111305552	19,430=00		
2	धनबाद	इबराना खातुन	DNB/1406S	10,250=00
3	घाटशिला	बंकिम चन्द्र मंडल	111307783	10,209=00
4	खुँटी	सनातन नरेश बारला	KHNEDN23365	54,792=00
		अदना हेम्ब्ररोम	KHNPOL3376	6,700=00
		शारदा देवी		331=00
6	लोहरदगा	लखवा उरॉव	LDGPOL3339	4,132=00
7	पाकुड़	शम्भु कान्त झा	111203055	486=00
		सुश्री कुमारी सेविका	111309604	141=00
8	सरायकेला	श्री मोतीलाल उरॉव	111202798	14,871=00
9	सिमडेगा	श्री टोन्जो अगस्तुन	SDGEDN 26475	10,964=00
		श्री कल्याण एक्का	NR1358	58,739=00
		श्री जोसेफ डुंगडुंग	111300160	17,284=00
		श्रीमती विक्टोरिया लकड़ा	111304847	5,906=00
		श्रीमती जोलेन टोपनो	SDGEDN26054	7,398=00
		श्रीमती सोभाती मिंज	SDHEDN26065	11,225=00
<b>कुल योग</b>				<b>14,79,076=00</b>

## परिशिष्ट - 12

(कंडिका 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी)  
राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी में पायी गई त्रुटियाँ

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	झा0को0संहिता भाग-1 के नियम 187 के तहत वेतन	राजपत्रित पदाधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात नमूना हस्ताक्षर को रद्ध किया जाना चाहिए
1	बोकारो	X	√
2	चाईबासा	X	√
3	चक्रधरपुर	X	X
4	चतरा	X	X
5	देवघर	X	√
6	धनबाद	X	√
7	डोरन्डा	X	X
8	दुमका	X	X
9	गढवा	X	√
10	घाटशिला	X	√
11	गिरिडीह	X	X
12	गोड्डा	X	X
13	गुमला	X	X
14	हजारीबाग	√	√
15	जमशेदपुर	X	X
16	जामताड़ा	X	√
17	खुँटी	X	X
18	कोडरमा	X	√
19	लातेहार	X	X
20	लोहरदगा	X	X
21	मधुपुर	X	√
22	महेशपुर	X	X
23	पाकुड़	X	X
24	पलामू	X	√
25	प्रोजेक्ट भवन	X	X
26	राजमहल	X	√
27	रामगढ़	X	√
28	राँची	X	X
29	साहेबगंज	X	X
30	सरायकेला	X	√
31	सिमडेगा	X	X
32	तेनुघाट	X	√
अनुपालन किया गया √		अनुपालन नहीं किया गया X	

## परिशिष्ट - 13

(कंडिका 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी)  
महालेखाकार के वेतन पर्ची के बिना राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा  
अधिक वेतन/भत्ते का आहरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	पदाधिकारी का नाम	विस्तृत विवरण	राशि
1	बोकारो	श्री बक्शी नाथ सिंह	वेतन	6,24,844=00
2	चाईबासा	डा० जितेन्द्र चौधरी	बकाया वेतन	15,065=00
3	साहेबगंज	श्री अविनाश कुमार	वेतन	3,80,344=00
		श्री रणबीर सिंह	वेतन	3,89,460=00
4	सिमडेगा	श्री सत्यनारायण प्रसाद	मकान किराया भत्ता	14,730=00
<b>कुल योग</b>				<b>14,24,443=00</b>

## परिशिष्ट - 14

कंडिका 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी  
राजपत्रित पदाधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि की न्यूनतम से  
कम कटौती से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि	राशि
1	गोडडा	1	डा० अमितेश रंजन श्रीवास्तव	2/13 से 5/13	160=00
		2	डा० प्रवीण कुमार राम	8/12 से 2/13	1,481=00
<b>कुल योग</b>					<b>1,641=00</b>

## परिशिष्ट - 15

कंडिका 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी  
लाईसेंस शुल्क की वसूली न किये जाने से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	चाईबासा	1	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	3/13 से 7/13
		2	श्रवन कुमार सिन्हा	3/13 से 6/13
2	गिरिडीह	1	श्री अनुप कुमार माथुर	
		2	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	
		3	श्री रवि रंजन	
3	गुमला	1	डा० राम बच्चन चौधरी	2012-13
		2	श्री रामानन्द प्रसाद	2012-13
		3	श्री सुनील कुमार	11/2010 से अबतक
3	मधुपुर	1	डा० संजीव कुमार	15.01.2013 से 4/13 तक
4	प्रोजेक्ट भवन	1	श्री राजकुमार मल्लिक	2012-13
		2	श्री गणेश राम	2012-13
5	सिमडेगा	1	श्री सुदर्शन चौबे	2013-14
		2	श्रीमती स्मिता तिग्गा	2013-14
		3	डा० सागर तिर्की	2013-14
		4	डा० वी०डी० प्रसाद	2013-14



## परिशिष्ट - 16

(कंडिका 3.4 असमान रूप से आयकर की कटौती)

आयकर अधिनियम के तहत समान रूप से आयकर की कटौती न किया जाना

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	बोकारो	2013-14	1	श्री राजेश कुमार राय	2012-13
			2	श्री रामनाथ सिंह	2012-13
			3	डा० सरोज कुमारी	2012-13
2	चाईबासा	2013-14	1	श्री विपिन बिहारी गौतम	3/12 से 2/13
			2	श्री अरुण कुमार सिंह	3/12 से 2/13
			3	श्री जय कृष्णा प्रसाद	3/12 से 2/13
			4	श्री विजय शंकर शुक्ला	3/12 से 2/13
			5	श्री विनोद कुमार सिंह	3/12 से 2/13
3	चतरा	2013-14	1	श्री शिव वच्चन यादव	3/12 से 2/13
			2	श्री तरुण कुमार	3/12 से 2/13
			3	श्री भागीरथ कारजी	3/12 से 2/13
4	चक्रधरपुर	2013-14	1	डा० एस०पी० सिंह	3/12 से 2/13
			2	संजय कुजूर	3/12 से 2/13
			3	सुरेश प्रसाद	3/12 से 2/13
			4	राजीव रंजन प्रसाद	3/12 से 2/13
			5	कुलदीप तिर्की	3/12 से 2/13
			6	संजय गोरतकार	3/12 से 2/13
5	डोरन्डा	2013-14	1	श्री राज कुमार	3/12 से 2/13
			2	श्री अजय कुमार	3/12 से 2/13
			3	श्री मिथलेश कुमार सिंह	3/12 से 2/13
			4	श्री घनश्याम प्रसाद सिंह	3/12 से 2/13
			5	श्री एस०पी० सुमन	3/12 से 2/13
			6	श्रीमती रीता बासावटिया	3/12 से 2/13
			7	श्री राकेश कुमार सिंह	3/12 से 2/13
6	धनबाद	2013-14	1	डा० आशुतोष कुमार सिंह	3/12 से 11/12
			2	डा० विपुल भंजन महतो	3/12 से 1/13
			3	डा० धर्मेन्द्र कुमार	3/12 से 1/13
7	देवघर	2013-14	1	श्री अनुप तिर्की	3/13
			2	श्री एल०एस० तिग्गा	3/13 एवं 4/14

8	गढ़वा	2013-14	1	डा0 नवल कुमार	3/12 से 2/13
			2	डा0 विष्णु माँझी	3/12 से 2/13
			3	डा0 सुनील कुमार	3/12 से 2/13
			4	डा0 श्याम सुन्दर पासवान	3/12 से 2/13
			5	ललन प्रसाद सिंह	3/12 से 2/13
9	घाटशिला	2013-14	1	शिव कुमार देव	3/12 से 12/12
			2	दिनेश कुमार	4/12 से 7/12
			3	श्याम सुन्दर प्रसाद	3/12 से 1/13
			4	मो0 नजरुद्धीन	3/12 से 12/13
			5	वरुण कुमार मिश्रा	6/12 से 1/13
			6	डा0 सुरेश चन्द्र महतो	3/12 से 1/13
10	गुमला	2013-14	1	डा0 हेमन्त कुमार	2012-13
			2	डा0 अरुण कुमार मिश्रा	2012-13
			3	श्री कृष्णा प्रसाद	2012-13
			4	श्री राहुल शर्मा	2012-13
			5	श्री आलोक केशरी कच्छप	2012-13
11	हजारीबाग	2013-14	1	श्री विजय कुमार सिंह	3/12 से 2/13
			2	श्री शशि शंकर प्रसाद	3/12 से 2/13
			3	श्री गोविन्द नारायण	3/12 से 2/13
12	जमशेदपुर	2013-14	1	श्री विपिन बिहारी	4/12 से 1/13
			2	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह	4/12 से 1/13
			3	श्री रामदास गणेश	4/12 से 1/13
			4	डा0 रीता चौहान	4/12 से 1/13
			5	श्री एस0वी0पी0 सिंह	3/12 से 1/13
			6	यु0पी0 सिंह	3/12 से 1/13
13	खुँटी	2013-14	1	डा0 दीपिका हेम्ब्रम	3/12 से 2/13
			2	डा0 तेज कुमार राम बैठा	3/12 से 2/13
			3	डा0 सुरेन्द्र कुमार झा	3/12 से 2/13
			4	श्री पंकज कुमार	3/12 से 2/13
			5	श्री मुन्ना लाल	3/12 से 2/13
			6	श्री परमेश्वर झा	3/12 से 2/13
14	कोडरमा	2013-14	1	श्री मुकुल किशोर सिन्हा	3/12 से 2/13
			2	श्री विजय सिंह	3/12 से 2/13
			3	सैयद ओबेदुल्लाह	3/12 से 2/13
			4	विश्राम टोप्पो	3/12 से 2/13
15	लोहरदगा	2013-14	1	श्री विद्यान्वल पाण्डेय	3/12 से 5/12
			2	श्री अंजली कुमार पाठक	3/12 से 4/12
16	मधुपुर	2013-14	1	डा0 रमेश कुमार	3/12 से 2/13
			2	डा0 अरुण गुप्ता	3/12 से 2/13
			3	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	3/12 से 2/13
17	महेशपुर	2013-14	1	श्री गोपाल ठाकुर	3/13 से 9/13

18	प्रोजेक्ट भवन	2013-14	1	श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा	3/12 से 2/13
			2	श्री संजय कुमार	3/12 से 2/13
			3	श्री राजीव रंजन कुमार	3/12 से 2/13
19	रामगढ़	2013-14	1	श्रीमती रंजना राणा	3/12 से 2/13
			2	श्री वेलेरीयन तिर्की	10/12 से 12/12
20	राँची	2013-14	1	श्री एस0एच0 काजमी	2012-13
			2	श्री पी0 के0 सिंह	2012-13
			3	श्री जे0पी0एन0 पाण्डेय	2012-13
			4	श्री सिताराम प्रसाद	2012-13
			5	सीमा सिन्हा	2012-13
21	सरायकेला	2013-14	1	डा0 मो0 खालिद	3/12 से 2/13
			2	डा0 अवधेश प्रसाद सिन्हा	3/12 से 2/13
			3	श्री आर0 एल0 सिंह	3/12 से 2/13
			4	श्री एस0के0पी0 सिन्हा	3/12 से 2/13
			5	श्री एस0के0 डुराइबुरु	3/12 से 2/13
			6	श्री विनय कान्त खान	3/12 से 2/13
22	सिमडेगा	2013-14	1	श्री प्रभात कुमार	3/12 से 2/13
			2	श्री गोसाई उरॉव	3/12 से 2/13
			3	श्री तारा कान्त गगराई	3/12 से 2/13
			4	डा0 सुधेश्वर ओहदार	3/12 से 2/13
			5	डा0 बेनाडीक्ट मिंज	3/12 से 2/13
			6	श्री विजय कुमार	3/12 से 2/13
			7	श्रीमती सारिका कुमारी	3/12 से 2/13
23	तेनुघाट	2013-14	1	श्री अनिल कुमार सिंह	3/12 से 2/13

## परिशिष्ट - 17

कंडिका 3.4 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी  
पेशेवर कर की वसूली न किये जाने से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	देवघर	1	श्री विजय कुमार सिंह	3/13 से 11/13
		2	श्री सुधीर कुमार दास	3/13 से 11/13
2	दुमका	1	डा० आनन्द मोहन सोरेंग	2012-13
		2	डा० जैनुल अबादेन	2012-13
		3	डा० अंबिका सिंह	2012-13
3	गोड्डा	1	डा० शिव नारायण तांती	2013-14
		2	डा० प्रवीण कुमार राम	2013-14
4	पाकुड़	1	श्रीमती बन्दना साहा	2013-14
		2	मो० कौषर कबीर	2013-14
		3	डा० देवाशीष बोस	2013-14
5	साहेबगंज	1	श्री बैधनाथ सिंह	2013-14
		2	श्री कृष्ण नन्दन पाण्डेय	2013-14
6	तेनुघाट	1	श्री विरेन्द्र प्रसाद	2013-14
		2	मो० एम० इस्लाम	2013-14
		3	श्री जी०एस० गुप्ता	2013-14

## परिशिष्ट - 18

(कंडिका 3.5 राजपत्रित पदाधिकारियों की वेतन पंजी)

राजपत्रित पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/एल0टी0सी0 अग्रिम की राशि का समायोजन नहीं किये जाने से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अग्रिम	अग्रिम की तिथि	राशि
1	चाईबासा	1	दिलिप कुमार मंडल	यात्रा भत्ता	30.03.2013	3,300=00
		2	राम किशोर सिंह “ अरविंद”	यात्रा भत्ता	30.11.2012	6,698=00
		3	रामचन्द्र प्रसाद	यात्रा भत्ता	21.01.2013	13,577=00
		4	ब्रजेश्वर दुबे	यात्रा भत्ता	09.03.2012	18,448=00
		5	इन्द्रदेव मंडल	यात्रा भत्ता	09.02.2013	41,035=00
		6	बालकृष्ण मुण्डा	यात्रा भत्ता	19.02.2013	32,840=00
2	धनबाद	1	श्री दया राम, जे0एम0	यात्रा भत्ता	03/2013	30,000
3	दुमका	1	श्री राम नरेश मिश्रा, जे0एम0	यात्रा भत्ता	अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सं0 14 दिनांक 21.12.12 में अंकित	15,000=00 20,000=00
4	गिरिडीह	1	श्री विजय कुमार न02	एल0टी0सी0	गढ़वा कोषागार द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सं0 492 दिनांक 25.06.13 में अंकित	2,500=00
		2	श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी	यात्रा भत्ता	पलामू कोषागार द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सं0 630 दिनांक 08.04.13 में अंकित	30,000=00
5	गुमला	1	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	यात्रा भत्ता	बिल संख्या 08/10-11 द्वारा आहरण	5,000=00
6	राँची	1	श्री वरुण कुमार मिश्रा, सीजीएम	यात्रा भत्ता	गिरिडीह कोषागार द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सं0 388 दिनांक 25.05. 10 में अंकित	10,000=00

		2	श्री सत्य प्रकाश, एसडीजेएम	यात्रा भत्ता	गोड्डा कोषागार द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सं० 160 दिनांक 09.04.12 में अंकित	7,000=00
		3	श्री नागेश्वर प्रसाद, से०जज	यात्रा भत्ता	गिरिडीह कोषागार द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सं० 276 दिनांक 11.04. 11 में अंकित	70,000=00
7	सरायकेला	1	श्री उमेश प्रसाद	यात्रा भत्ता	19.03.2013	15,700=00
		2	श्री योगेश्वर प्रसाद	यात्रा भत्ता	09.11.2012	61,830=00
		3	श्री सकलदेव मिश्रा	यात्रा भत्ता	10.11.2012	57,123=00
		4	श्री अरविंद कच्छप	यात्रा भत्ता	20.12.2013	34,715=00
		5	श्री रंजीत कुमार	यात्रा भत्ता	07 / 12	18,037=00
		6	श्री नवीन कुमार	यात्रा भत्ता	20.12.2013	27,550=00
<b>कुल योग</b>						<b>5,20,353=00</b>

## परिशिष्ट- 19

(कंडिका 3.6)

**टेकेदारों को संघटन अग्रिम/उपक्रम अग्रिम/व्यय भुगतान पर आयकर की कटौती न किया जाना**

क्रम संख्या	कोषागार का नाम	प्रमंडल/एजेन्सी का नाम	चेक संख्या एवं तिथि	राशि (रुपये में)
1	सरायकेला	पथ प्रमंडल/मे0 सत्यम बिल्डर	16509 / 28.12.13	34,66,491
		पथ प्रमंडल/के0के0 बिल्डर प्रा0 लि0	065524 / 22.6.12	65,00,000
		-वही-	165616 / 09.3.13	2,64,00,000
		पथ प्रमंडल/एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड	165692 / 31.5.13	5,25,91,022
		पथ प्रमंडल/विलयन मिश्रा ज्वाईट वेंचर	165700 / 21.06.13	2,55,55,454
2	जमशेदपुर	भवन प्रमंडल/सुरयोग गौतम कन्स0	141818 / 13.10.12	44,18,150
		-वही-	142649 / 23.3.13	22,09,076
		-वही-	142648 / 23.3.13	15,72,200
		-वही-	142647 / 23.3.13	44,28,000
		लघु सिंचाई प्रमंडल/मंगतिया कन्स0 प्रा0 लि0	089772 / 19.12.12	95,45,894
		लघु सिंचाई प्रमंडल/मे0 राजलक्ष्मी कन्स0	089773 / 20.12.12	22,00,000
		पथ प्रमंडल/के0के0 बिल्डर प्रा0 लि0	128319 / 16.6.12	1,47,00,000
		-वही-	128320 / 23.6.12	49,00,000
		-वही-	128334 / 16.8.12	98,00,000
		-वही-	143109 / 20.3.13	3,80,00,000
		पथ प्रमंडल/मनोज कुमार	143132 / 30.3.13	11,60,165
3	घाटशिला	बैराज प्रमंडल, गालुडीह	143347 / 13.3.13	3,95,00,000
		लघु वितरणी प्रमंडल सं04 गालुडीह	038671 / 28.6.13	3,22,64,000
		-वही-	038672 / 28.6.13	2,89,95,000
		-वही-	038678 / 29.6.13	60,00,000
		खरकाई लिंक कैनल प्रमंडल, मुसाबनी	038984 / 7.9.12	2,10,99,600
		सिंचाई प्रमंडल, गालुडीह	089773 / 31.8.12	1,24,00,000
4	चाईबासा	पथ प्रमंडल, चाईबासा/मे0 रामकृपाल सिंह कन्स0 प्रा0 लि0	30.3.2013	4,56,09,500
		-वही-	29.6.2013	4,34,70,000

## परिशिष्ट - 20

(कंडिका 3.7 कोषागार नियंत्रण प्रक्रिया के पालन से संबंधित)

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	झा0को0संहि9 भाग-1 के नियम 552 के तहत महालेखाकार को व्ययगत जमा विवरणी भेजना	झा0को0संहिता भाग-1 के नियम 47 के तहत जमा पंजी का आयुक्त द्वारा त्रैमासिक जाँचा जाना
1	बोकारो	x	x
2	चाईबासा	x	x
3	चक्रधरपुर	√	√
4	चतरा	√	x
5	देवघर	x	x
6	धनबाद	x	√
7	डोरन्डा	x	x
8	दुमका	x	x
9	गढवा	x	x
10	घाटशिला	x	x
11	गिरिडीह	x	x
12	गोड्डा	√	√
13	गुमला	x	x
14	हजारीबाग	x	x
15	जमशेदपुर	x	√
16	जामताड़ा	x	x
17	खुँटी	x	√
18	कोडरमा	x	√
19	लातेहार	√	√
20	लोहरदगा	x	x
21	मधुपुर	x	x
22	महेशपुर	x	x
23	पाकुड़	√	√
24	पलामू	√	√
25	प्रोजेक्ट भवन	√	√
26	राजमहल	√	x
27	रामगढ़	x	√
28	राँची	x	x
29	साहेबगंज	√	x
30	सरायकेला	x	x
31	सिमडेगा	x	x
32	तेनुघाट	√	x
अनुपालन किया गया √		अनुपालन नहीं किया गया x	



## परिशिष्ट - 21

(कंडिका 3.8 उच्चतर अधिकारी द्वारा कोषागार का सावधिक निरीक्षण से संबंधित)  
उच्चतर अधिकारी द्वारा कोषागार/उप-कोषागार का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना

क्रमांक	कोषागार/उप-कोषागार का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	बोकारो	निरीक्षण नहीं किया गया
2	चाईबासा	निरीक्षण नहीं किया गया
3	चक्रधरपुर	निरीक्षण नहीं किया गया
4	चतरा	30.04.2013 को निरीक्षण किया गया
5	देवघर	10.02.2014 को निरीक्षण किया गया
6	धनबाद	निरीक्षण नहीं किया गया
7	डोरन्डा	निरीक्षण नहीं किया गया
8	दुमका	निरीक्षण नहीं किया गया
9	गढवा	निरीक्षण नहीं किया गया
10	घाटशिला	निरीक्षण नहीं किया गया
11	गिरिडीह	निरीक्षण नहीं किया गया
12	गोड्डा	29.01.2013 को निरीक्षण किया गया
13	गुमला	24.01.2013 को निरीक्षण किया गया
14	हजारीबाग	निरीक्षण नहीं किया गया
15	जमशेदपुर	15.07.2013 को निरीक्षण किया गया
16	जामताड़ा	07.02.2013 को निरीक्षण किया गया
17	खुँटी	16.04.2013 को निरीक्षण किया गया
18	कोडरमा	निरीक्षण नहीं किया गया
19	लातेहार	21.02.2013 को निरीक्षण किया गया
20	लोहरदगा	निरीक्षण नहीं किया गया
21	मधुपुर	निरीक्षण नहीं किया गया
22	महेशपुर	07.03.2013 को निरीक्षण किया गया
23	पाकुड़	05.03.2013 को निरीक्षण किया गया
24	पलामू	29.02.2013 को निरीक्षण किया गया
25	प्रोजेक्ट भवन	निरीक्षण नहीं किया गया
26	राजमहल	निरीक्षण नहीं किया गया
27	रामगढ़	निरीक्षण नहीं किया गया
28	राँची	निरीक्षण नहीं किया गया
29	साहेबगंज	निरीक्षण नहीं किया गया
30	सरायकेला	निरीक्षण नहीं किया गया
31	सिमडेगा	16.08.2013 को निरीक्षण किया गया
32	तेनुघाट	निरीक्षण नहीं किया गया

## परिशिष्ट - 22

(कंडिका 3.9 कोषागारों की सुरक्षा)  
बज्र गृह की सुरक्षा संबंधी खामियाँ

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 221 के तहत बज्र गृह सुदृढता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए	झा0को0संहि0 भाग-1 के नियम 121 (4) के तहत पुलिस बल की तैनाती	अग्निशामक यंत्र कार्यशील स्थिति में स्थापित होना चाहिए
1	बोकारो	X	√	√
2	चाईबासा	√	X	√
3	चक्रधरपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
4	चतरा	√	√	X
5	देवघर	X	X	√
6	धनबाद	X	X	√
7	डोरन्डा	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
8	दुमका	√	√	√
9	गढवा	X	X	X
10	घाटशिला	संबंधित नहीं है √	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
11	गिरिडीह	X	X	√
12	गोड्डा	X	√	X
13	गुमला	X	X	X
14	हजारीबाग	X	X	√
15	जमशेदपुर	X	X	X
16	जामताड़ा	X	√	√
17	खुँटी	√	√	√
18	कोडरमा	X	X	X
19	लातेहार	X	X	X
20	लोहरदगा	X	X	X
21	मधुपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
22	महेशपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
23	पाकुड़	√	X	√
24	पलामू	X	X	√
25	प्रोजेक्ट भवन	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
26	राजमहल	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
27	रामगढ़	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
28	राँची	X	X	X
29	साहेबगंज	X	X	
30	सरायकेला	X	X	X
31	सिमडेगा	X	X	
32	तेनुघाट	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
अनुपालन किया गया √		अनुपालन नहीं किया गया X		

## परिशिष्ट- 23

(कंडिका 3.10.1 मुद्रांक लेखों का संधारण)

ज्यूडिशियल/नन-ज्यूडिशियल मुद्रांको का आवश्यकता से अधिक भंडारण

क्रमांक	कोषागार/उप कोषागार का नाम	विशेष एडहेशिव मुद्रांक ( ₹ में)	राजस्व मुद्रांक ( ₹ में)	शेयर ट्रांसफर मुद्रांक ( ₹ में)	इमप्रेसड कोर्ट फीस मुद्रांक ( ₹ में)	एडवोकेट वैलफेयर मुद्रांक ( ₹ में)
1	बोकारो	836800	1073600	7429400		1640000
2	चाईबासा	2072318	1381249	600000	34263355	3594000
3	चतरा	13415759	5411000	---	---	374000
4	देवघर	47739589	1530758	---	---	1340500
5	धनबाद	16299460	5152284	988000	---	4240000
6	दुमका	201555	3181440	---	---	---
7	गढ़वा	349440	1144630	---	---	2568100
8	गिरिडीह	16274524	1885800	---	---	1120000
9	गोड्डा	770863	2052017	---	---	---
10	गुमला	2466606	967241	---	---	1840000
11	हजारीबाग	9209900	1590080	---	---	2367800
12	जमशेदपुर	249226650	6193392	32004100	---	4843000
13	जामताड़ा	998708	776323	---	---	1153000
14	कोडरमा	---	---	---	---	---
15	लातेहार	4838720	1107840	---	---	2180000
16	लोहरदगा	1430000	13154	---	---	572600
17	पाकुड़	8846624	1264273	---	---	1121300
18	पलामू	5638040	675200	---	---	3355000
19	राँची	79903291	3666416	1905950	57838575	4922010
20	साहेबगंज	5726700	809280	---	---	1367000
21	सरायकेला	3852	1059900	200000		3605000
22	सिमडेगा	16218000	---	---	---	---

## परिशिष्ट- 23

(कंडिका 3.10.1 मुद्रांक लेखों का संधारण)

ज्युडिशियल/नन-ज्युडिशियल मुद्रांको का आवश्यकता से अधिक भंडारण

क्रमांक	कोषागार/उप कोषागार का नाम	ज्युडिसीयल मुद्रांक ( ₹ में)	नोटीयल फीस ( ₹ में)	नेशनल मुद्रांक ( ₹ में)	नन ज्युडिशियल मुद्रांक ( ₹ में)	बीमा मुद्रांक ( ₹ में)
1	बोकारो	89855719	---	---	380360955	1893000
2	चाईबासा	11822816	---	---	257250821	---
3	चतरा	54307056	394000	---	142283661	---
4	देवघर	103880419	5232150	---	287429619	---
5	धनबाद	105920918	4854800	---	759467226	1323080
6	दुमका	79827458	---	---	77626133	---
7	गढ़वा	32429382	1947200	---	81527539	---
8	गिरिडीह	105615275	---	---	652728069	---
9	गोड्डा	43476265	---	---	51435704	---
10	गुमला	60996104	---	---	237432117	---
11	हजारीबाग	19159298	---	---	243050710	10920000
12	जमशेदपुर	164252148	2292463	---	761425244	---
13	जामताड़ा	92402918	---	---	98495789	---
14	कोडरमा	31363964	---	---	208253085	---
15	लातेहार	23978085	---	---	241839860	---
16	लोहरदगा	17295507	---	---	61284683	---
17	पाकुड़	11997238	---	---	90105613	---
18	पलामू	69657672	2832800	---	131415610	---
19	राँची	223112152	4182200	---	473146699	1905950
20	साहेबगंज	15909424	296100	---	133570559	---
21	सरायकेला	77452075	---	---	388286784	---
22	सिमडेगा	32419691	---	---	172289010	---

## परिशिष्ट- 24

(कंडिका 3.10.2 मुद्रांक लेखों का संधारण)

अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में अनावश्यक भण्डारण

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	विस्तृत विवरण	राशि ( ₹ में )
1	बोकारो		
2	चाईबासा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	45,42,000=00 59,51,908=11
3	चतरा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,00,000=00
4	देवघर	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	10,192=50 30,30,328=00
5	धनबाद	अप्रचलित मुद्रांक	2,77,76,056=53
6	दुमका	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	67,50,034=00 1,50,95,781=00
7	गिरिडीह	अप्रचलित मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	20,00,000=00 62,78,100=50
8	गोड्डा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	75,000=00 92,000=00
9	गुमला	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	1,38,002=00 4,15,848=00
10	हजारीबाग	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	63,640=00 1,43,57,858=25
11	जमशेदपुर	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	3,58,66,578=75
12	कोडरमा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	2,920=00
13	लातेहार	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,150=00
14	लोहरदगा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	34,086=00
15	पाकुड़	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	11,24,550=00
16	पलामू	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	33,90,800=00
17	साहेबगंज	अप्रचलित मुद्रांक	4,68,630=00
18	सरायकेला	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	8,99,000=00
19	सिमडेगा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	2,000=00

## परिशिष्ट- 25

(कंडिका 3.10.3 मुद्रांक लेखों का संधारण)  
जमींदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निस्तारण से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	कोषागार का नाम	मूल्य राशि ( ₹ में )	संख्या	राशि ( ₹ में )
1	चतरा	50/-	76	3,800=00
		100/-	38	3,800=00
		200/-	66	13,200=00
		500/-	37	18,500=00
		1000/-	38	38,000=00
		5000/-	01	5,000=00
		10000/-	03	30,000=00
2	दुमका	50/-	94	4700=00
		100/-	61	6100=00
		200/-	68	13600=00
		500/-	25	12500=00
		1000/-	42	42000=00
		5000/-	05	25000=00
		10000/-	24	240000=00
3	गिरिडीह	50/-	185	9250=00
		100/-	197	19700=00
		200/-	150	30000=00
		500/-	36	18000=00
		1000/-	77	77000=00
		5000/-	04	20000=00
4	गोड्डा	50/-	91	4550=00
		100/-	51	5100=00
		200/-	43	8600=00
		500/-	06	3000=00
		1000/-	23	23000=00
5	गुमला	50/-	13	650=00
		100/-	08	800=00
		200/-	12	2400=00
		500/-	01	500=00
6	हजारीबाग			424050=00
7	जमशेदपुर	50/-	73	3650=00
		100/-	57	5700=00
		200/-	65	13000=00
		500/-	19	9500=00
		1000/-	33	33000=00
		5000/-	01	5000=00

8	कोडरमा	50/-	03	150=00
		100/-	10	1000=00
		200/-	13	2600=00
		500/-	04	4000=00
9	लातेहार	50/-	17	850=00
		100/-	05	500=00
		200/-	05	1000=00
		500/-	01	500=00
10	पलामू	50/-	14	700=00
		100/-	11	1100=00
		200/-	05	1000=00
11	राँची	50/-	253	12650=00
		100/-	172	17200=00
		200/-	195	39000=00
		500/-	54	27000=00
		1000/-	46	46000=00
		5000/-	12	60000=00
		10000/-	23	230000=00

## परिशिष्ट- 26

(कंडिका 3.11.8 सूचना तकनीकी लेखा संबंधी विवरण)  
प्रोद्योगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जाना

क्रम संख्या	कोषागार/ उप-कोषागार का नाम	प्रोद्योगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित
1	बोकारो	X
2	चाईबासा	X
3	चक्रधरपुर	√
4	चतरा	X
5	देवघर	X
6	धनबाद	X
7	डोरन्डा	√
8	दुमका	√
9	गढ़वा	√
10	घाटशिला	√
11	गिरिडीह	X
12	गोड्डा	√
13	गुमला	X
14	हजारीबाग	X
15	जमशेदपुर	√
16	जामताड़ा	X
17	खुँटी	√
18	कोडरमा	X
19	लातेहार	√
20	लोहरदगा	X
21	मधुपुर	√
22	महेशपुर	√
23	पाकुड़	√
24	पलामू	X
25	प्रोजेक्ट भवन	X
26	राजमहल	X
27	रामगढ़	X
28	राँची	X
29	साहेबगंज	X
30	सरायकेला	X
31	सिमडेगा	√
32	तेनुघाट	√